रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07032024-252698
CG-DL-E-07032024-252698

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53] नई दिल्ली, बुधवार, मार्च 6, 2024/फाल्गुन 16, 1945
No. 53] NEW DELHI, WEDNESDAY, MARCH 6, 2024/PHALGUNA 16, 1945

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

(विदेश व्यापार महानिदेशालय)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 6 मार्च, 2024

सं. 46/2023

विषयः पीली मटर आयात निगरानी प्रणाली के कार्यान्वयन में संशोधन के संबंध में।

फा. सं. एम–5012/300/2002/पीसी–2[क]/भाग - VI/ई–9019.— समय–समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार नीति (एफटीपी) 2023, के पैरा 1.03 और 2.04 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और दिनांक 08.12.2023 की अधिसूचना सं. 50/2023 और दिनांक 23.02.2024 की अधिसूचना सं. 61/2023 के संदर्भ में महानिदेशक विदेश व्यापार एतदद्वारा आयात खेपें जो दिनांक 31.03.2024 के बाद भारतीय पत्तन पर आने वाली हैं के लिए पीली मटर आयात निगरानी प्रणाली (वाइपी–आइएमएस) के तहत आयात खेपों के पंजीकरण हेतु प्रक्रियाओं में निम्नानुसार संशोधन करते हैं–

i. दिनांक 13.12.2023 की सार्वजनिक सूचना सं. 35/2023 के पैरा (ख) को हटा दिया गया है। आयात खेप के आगमन की प्रत्याशित तिथि से 5 दिन पूर्व वाइपी–आइएमएस पंजीकरण के एवज में, आयातक को लदान बिल की तिथि से 7 दिनों के भीतर अथवा इस सार्वजनिक सूचना की तिथि से 7 दिनों के भीतर जो भी बाद में हो वाइपी–आइएमएस पंजीकरण लेना होगा।

ii. लदान बिल (पोतलदान किया गया) का विवरण वाइपी–आइएमएस पंजीकरण में घोषित किया जाएगा। एकाधिक लदान बिलों (पोतलदान किए गए) के विवरण एकल वाइपी–आइएमएस पंजीकरण के तहत विनिर्दिष्ट किए जा सकते हैं।

iii. लदान बिलों (पोतलदान किए गए) की सभी प्रतियां पंजीकरण प्रक्रिया के दौरान अनिवार्य रुप से अपलोड की जानी चाहिए। आयातक उक्त लदान बिलों की प्रतियों में निर्यातक के विवरण को छिपाने का विकल्प चुन सकता है।

इस सार्वजनिक सूचना का प्रभावः आयात निगरानी प्रणाली (वाइपी–आइएमएस) के तहत दिनांक 31.03.2024 के बाद भारतीय पत्तनों पर आने वाली पीली मटर (आइटीसी (एचएस) कोड 07131010) के आयात के पंजीकरण हेतु समय–सीमा और प्रक्रियाएं संशोधित की गई हैं।

संतोष कुमार सारंगी, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF FOREIGN TRADE)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 6th March, 2024

No. 46/2023

Subject: Amendments in Implementation of Yellow Peas Import Monitoring System-reg.

F. No. M-5012/300/2002/PC-2[A]/Part-VI/E-9019.—In exercise of powers conferred under Paragraph 1.03 and 2.04 of the Foreign Trade Policy (FTP) 2023, as amended from time to time, and in reference to Notification 50/2023 dated 08.12.2023 and Notification 61/2023 dated 23.02.2024, the Director General of Foreign Trade hereby amends the procedures for registration of import consignments under Yellow Peas Import Monitoring System(YP-IMS) for import consignments which are to arrive at the Indian Port after 31.03.2024 as follows –

i. Para (b) of Public Notice 35/2023 dated 13.12.2023shall not be applicable. In lieu of YP-IMS registration 5days before the expected date of arrival of import consignment, the Importer shall undertake YP-IMS registration within 7 days from the date of Bill of Ladingor 7 days from the date of this Public Notice whichever is later.

ii. Bill of Lading (Shipped on Board) details shall be declared in the YP-IMS registration. Multiple Bills of Lading (Shipped on Board) details may be specified under a single YP-IMS registration.

iii. All copies of Bills of Lading (Shipped on Board) should be mandatorily uploaded during the registration process. The Importer may choose to mask the Exporter details on the said Bills of Lading copies.

Effect of this Public Notice: Timelines and procedures for registration of import of Yellow Peas(ITC(HS) Code 07131010) under the Import Monitoring System(YP-IMS)arriving at Indian Port after 31.03.2024 are amended.

SANTOSH KUMAR SARANGI, Director General of Foreign Trade
& Ex-officio Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
MANOJ KUMAR VERMA